मध्य प्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 12870 / MGNREGS-MP/NR-3 / SE-1 / 2010 / भोपाल, दिनांकः 24 / 12 / 2010

प्रति,

- **कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति, जिला कार्यक्रम समन्वयक**
  महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
  जिला– समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय : **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं के विकास हेतु कामधेनु उपयोजना की आयोजना का क्रियान्वयन।**

––0––

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक विकास के कार्यों के माध्यम से जॉबकार्डधारी अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों की आजीविका के अन्य साधनों में पशुपालन भी उनकी आय का प्रमुख साधन है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के विकास में इनका योगदान, मनरेगा के प्रावधानित कार्यों की ग्राम पंचायतों में सतत् उपलब्धता, के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की अनुशंसा पर **मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं के विकास हेतु कामधेनु उपयोजना की आयोजना तैयार की गई है। उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विवरण निम्नानुसार हैः–**

1 **उपयोजना अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यः–**

गौशालाओं के विकास हेतु उपयोजना अंतर्गत लिये जाने वाले प्रावधानित कार्यः–

1.1 ग्राम से गौशालाओं तक जी.एस.बी. स्तर का पहुॅचमार्ग।
1.2 पशु अवरोधक खंती (CPT)। अथवा पशु अवरोधक बोल्डर दीवार।
1.3 पेयजल व्यवस्था हेतु कूप निर्माण अथवा स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप लघु तालाब।
1.4 गौ–शाला की भूमि पर वृक्षारोपण।
1.5 चारागाह विकास।
1.6 गोबर की खाद तैयार करने हेतु खंती का निर्माण।

2 **कार्य क्षेत्रः–**

म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जीवित पंजीकृत गौ–शालायें इस उपयोजना के अंतर्गत लाभान्वित की जा सकेंगी, जिनमें कम से कम 50 पशु गत एक वर्ष से उपलब्ध रहे हों।

3 **कार्यों का चयनः–**

3.1 कण्डिका 1 में प्रावधानित कार्यों मे से गौ–शाला की भौगौलिक स्थिति के अनुसार लिये जाने वाले कार्यों के चिन्हांकन हेतु सरपंच/सचिव, पटवारी, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, उपयंत्री एवं संबंधित गौशाला प्रबंधक द्वारा सामूहिक रूप से वाक–थ्रू–सर्वे किया जायेगा। वाक–थ्रू–सर्वे के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

3.2 वाक–थ्रू–सर्वे के आधार गौ–शाला प्रबंधक द्वारा ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रपत्र–1 में आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के साथ में प्रत्येक कार्य हेतु भूमि का प्रकार (शासकीय/गौशाला के स्वामित्व की) व क्षेत्रफल दर्शाते हुये प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होगें।

3.3 ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन का परीक्षण किया जावेगा। परीक्षण में यह ध्यान रखा जावेगा कि उन क्षेत्रों में वहाँ पशु अवरोधक दीवार बनाने हेतु आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो।

3.4 वृक्षारोपण कार्य गौ–शाला के स्वामित्व की भूमि पर ही किया जा सकेगा। वृक्षारोपण में सुबबूल, पाखर, शीशम,बिहुल, मलबेरी(शहतूत), शाल,अंजन,झरबेरी, गूलर, खेर, बांस, अर्जुन, कुसुम, गोखरू, रोसबानिया एवं विलायती बबूल इसके अतिरिक्त आंवला, बेर, आम, करोंदा, नीम ,सुरजना, जामुन एवं पीपल के पौधों की प्रजातियां ही लगाई जा सकेगी।

3.5 चारागाह विकास का कार्य गौ–शाला के समीप शासकीय भूमि पर किये जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विचार किया जा सकेगा। इस कार्य की सुरक्षा हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों से फेंसिंग का कार्य किया जा सकेगा।

3.6 मनरेगा के कार्यों में मजदूरीःसामग्री अनुपात 60:40 की बाध्यता को देखते हुये गौ–शाला के स्वामित्व की भूमि पर प्रस्तावित कार्यों में सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक राशि प्राक्कलित होने पर विधायक या अन्य शासकीय मद अथवा गौ–शाला के अंशदान की राशि से अभिसरण कर कार्य कराये जा सकेगें। इसी प्रकार शासकीय भूमि पर प्रस्तावित कार्यों को भी आवश्यकतानुसार अभिसरण के अंतर्गत कराये जा सकेंगे।

4 **क्रियान्वयन एजेंसीः–**

4.1 उपयोजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत रहेगी।

4.2 गौ–शाला का संचालन–संधारण स्वयं सेवी संस्था अथवा समिति द्वारा किये जाने की स्थिति में मनरेगा अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यकतानुसार समय–समय पर ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु स्वयं सेवी संस्था/समिति एवं ग्राम पंचायत के मध्य करारनामा निष्पादित किया जावेगा।

5. **कार्यों की स्वीकृतिः–**

5.1 मनरेगा अभिसरण अंतर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु प्रस्ताव अभिसरण मद से संबंधित प्राधिकारी जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा को भेजा जावेगा।

5.2 अभिसरण के तहत किये जाने वाले कार्यों का मनरेगा के प्रावधानों अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं अर्थात ग्राम सभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से अनुमोदित होकर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल होना सुनिश्चित किया जावे। तदोपरांत कार्य ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य–योजना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत शामिल किया जावे।

5.3 प्राक्कलन में अकुशल श्रम पर व्यय की जाने वाली राशि की गणना कर उसे 60 प्रतिशत के बराबर माना जावे तथा अधिकतम 40 प्रतिशत राशि के बराबर अर्द्ध–कुशल, कुशल एवं सामग्री के प्रस्तावित व्यय की गणना की जाकर इस प्राक्कलन को मूल प्राक्कलन का भाग–1 कहा जावे, जिसे मनरेगा योजना मद के तहत स्वीकृत किया जावेगा।

5.4 मूल प्राक्कलन में से प्राक्कलन भाग–1 की राशि को कम किया जाकर, शेष राशि से सिर्फ सामग्री मद के अंतर्गत अर्द्ध कुशल, कुशल एवं सामग्री हेतु राशि के व्यय का प्रावधान किया जा सकेगा। इसे मूल प्राक्कलन का भाग–2 कहा जावे। प्राक्कलन भाग–2 को विधायक निधि, गौ–शाला के अंशदान या अन्य शासकीय मद की राशि से स्वीकृत किया जा सकेगा।

उदाहरण स्वरूप गौशाला उपयोजना के तहत प्रस्तावित किसी कार्य में मूल प्राक्कलन की लागत रूपये 3 लाख है। प्राक्कलन में अकुशल श्रम के रूप में व्यय होने वाली प्रस्तावित राशि यदि रू. 1.50 लाख है, इसे 60 प्रतिशत मजदूरी के बराबर मानने पर मनरेगा मद से राशि रू. 2.50 लाख व्यय किये जाने हेतु उपलब्ध हो सकेगें। राशि रू. 2.50 लाख में राशि रू. 1.50 लाख अकुशल मजदूरी के रूप में तथा राशि रू. 1 लाख सामग्री मद से व्यय किये जाने हेतु उपलब्ध हो सकेगें, इसे मूल प्राक्कलन का भाग–1 कहा जावे। कार्य की कुल प्राक्कलित लागत रू. 3 लाख में से राशि रू. 2.50 लाख कम करने पर शेष राशि रू. 0.50 लाख सामग्री मद हेतु उपलब्ध कराने होगें। इसे मूल प्राक्कलन का भाग–2 कहा जावे, मूल प्राक्कलन के भाग–2 की राशि की उपलब्धता अभिसरण के तहत विधायक निधि, गौ–शाला अंश या अन्य मद से की जाना होगी।

5.5 अभिसरण के तहत गौशाला के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री अथवा उससे वरिष्ठ स्तर के तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

5.6 अभिसरण के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर के द्वारा अभिसरण मद अंतर्गत राशि सुनिश्चित करते हुये जारी की जावेगी। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में अलग–अलग मदों से स्वीकृत की जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इसमें मजदूरी और सामग्री हेतु प्रावधानित राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

5.7 उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति संबंधित गौ–शाला प्रबंधक को दी जावे।

6. **वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारणः–**

6.1 कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाकर भुगतान उपरांत देयको को कार्य की नस्ती में संधारित किया जावे।

6.2 कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा लेखा, पंचायत एक्ट के नियमों के तहत संधारित किये जायेगें, प्रत्येक योजना के आय–व्यय के लिये अलग–अलग लेजर संधारित किये जायेगें। लेखों का अंकेक्षण संबंधित एजेंसी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा किया जावेगा।

6.3 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अंकेक्षण हेतु लेखे उपलब्ध रखें जावें।

6.4 ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।

7. **मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतानः–**

7.1 सप्ताह के अंत में मस्टर रोल में दर्ज जॉबकार्डधारियों की संख्या के सत्यापन हेतु गौ–शाला प्रबंधक के भी हस्ताक्षर कराये जावें।

7.2 कार्यों का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री मनरेगा/ग्रा.या.से द्वारा किया जावेगा।

7.3 कार्य का मूल्यांकन एवं जॉबकार्ड धारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की समय सीमा में बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके खातों में किया जावे। यह जिम्मेदारी सरपंच/सचिव की होगी।

7.4 मनरेगा मद की राशि के मूल्यांकित मस्टर रोल एवं देयकों के माध्यम से व्यय की गई राशि की एम.आई.एस. प्रविष्टि अनिवार्यतः की जावे। यह जिम्मेदारी सचिव तथा उपयंत्री की होगी।

8. **निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण :–**

8.1 क्रियान्वयन एजेंसी से मनरेगा मद में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 सुनिश्चित किया जावे। कार्यों का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक कराया जावे।

8.2 कार्यों का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

8.3 जिलास्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा इस उपयोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का तथा नियुक्त राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।

8.4 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.या.से/06 दिनांक 22.06.2006 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य का Exit Protocol कराया जावे।

9. **कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति–**

उपयोजना अंतर्गत संपादित कार्यों की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी आगामी माह के 10 तारीख तक संलग्न प्रपत्र में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को उपलब्ध कराई जावें।

24/12

(वेद प्रकाश)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

12871

पृ.क्रमांक/ /MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2010/ भोपाल, दिनांक: 24/12/ 2010

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पशु पालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,।
4. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
8. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्य प्रदेश।
10. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश।
11. समस्त उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, समस्त जिले म.प्र.।
12. प्रभारी मॉनिट शाखा, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
13. मीडिया अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्री/सरपंचों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
15. समस्त सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
16. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।

24/12/10

उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र–1

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील..... जिला ..... म.प्र.

आदेश

राज्य शासन द्वारा कामधेनु/गौ सरंक्षण एवं भूमि विकास उपयोजना अंतर्गत गौ–संरक्षण, आदि के कार्यों को किये जाने हेतु उपयोजना को प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु जनपद पंचायत..... ..... अंतर्गत आने वाले गौ–शालाओं का वॉक थ्रू सर्वे किया जाना है। इस कार्य हेतु निम्नानुसार दलों का गठन किया जाता है :–

क्र.	प्रस्तावित कार्य	दल प्रभारी एवं सहायक	दल के अन्य सदस्य	सर्वेक्षण दिनांक
		श्री ..... उपयंत्री मोबाईल नं..... श्री ..... उपसंचालक, पशु चिकित्सा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि मोबाईल नं..... श्री ..... पंचायत सचिव/पं.कर्मी ग्राम पंचायत..... मोबाईल नं.	श्री ..... सरपंच ग्रा पंचायत..... श्री ..... पटवारी हल्का नं..... श्री ..... प्रबंधक, गौ–शाला मोबाईल नं.....	

दल प्रभारी उपयंत्री, सरपंच, पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी, पटवारी निर्धारित सर्वेक्षण दिनांक के एक दिन पूर्व अपरान्ह में जनपद पंचायत..... कार्यालय में उपस्थित होगें एवं वॉक थ्रू सर्वे हेतु आवश्यक प्रपत्र/पटवारी अभिलेख, हेतु संबंधित व्यक्ति को सूचना देना इत्यादि तैयारी करेंगे, की गई तैयारी की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को देंगे।

निर्धारित तिथि को वॉक थ्रू सर्वेक्षण की कार्यवाही संपादित करेगें। दल के सभी सदस्य सर्वेक्षण उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..... को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत ही मुक्त होंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
तहसील.....
जिला.....

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला.....
2. मुख्य कार्यपालन अधिकरी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत.....
3. उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला..... म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा.....
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..... अनुपस्थित कर्मचारियों की सूचना आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करावें।
6. संबंधित श्री ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
तहसील.....
जिला.....

प्रपत्र–2

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत
संचालित कामधेनू उपयोजना अंतर्गत कार्यो की स्वीकृति हेतु
आवेदन–पत्र

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत.....
जनपद पंचायत.....
जिला.....

द्वारा :– उपसंचालक, पशु चिकित्सा एवं सेवायें जिला.....।

विषयः महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत संचालित कामधेनू उपयोजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों को शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल कर एवं स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड में पंजीकृत गौशालाओं के विकास हेतु मनरेगा की कामधेनू उपयोजना को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र दिनांक..... से लागू किया गया है। .... गौशाला के विकास हेतु दिनांक ..... अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा वाक थ्रू सर्वे किया गया है। वाक थ्रू सर्वे के आधार पर प्रस्तावित कार्यों की सूची निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रस्तावित कार्य का नाम	भूमि का विवरण शा. / गौ–शाला के स्वामित्व की (नक्शा / खसरा सहित)	अनुमानित लागत	कार्य की उपयोगिता	अन्य कोई जानकारी

2. गौशाला का म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड में पंजीकरण नं. ..... दिनांक..... (पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)
3. गौ–शाला में मवेशियों की संख्या .....।
4. गौ–शाला में उपलब्ध / पूर्व से निर्मित संरचनाओं की जानकारी।
5. गौ–शाला प्रबंधक की अनुपस्थिति में किन्ही दो सक्रिय सदस्यों के नाम व मोबाईल नं.।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी गौ–शाला के अभिलेखों के अनुसार है। कृपया प्रस्तावित कार्यों त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से अनुमोदित कराये जाकर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल करने तदोपरांत स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने का अनुरोध है।

हस्ताक्षर
प्रबंधक
गौ–शाला का नाम

प्रपत्र–3

करारनामा
(अनुबंध)

दिनांक ..... दिवस..... को प्रबंधक .....(गौ– शाला का नाम) आगे पार्टी क्र. 1 कहा जावेगा एवं सरपंच ग्राम पंचायत ..... जनपद पंचायत..... जिला ..... को पार्टी क्र. 2 कहा जावेगा। के मध्य महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत संचालित कामधेनू उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के क्रियान्वयन हेतु निष्पादित किया गया है। इस उपयोजना के अंतर्गत गौ–शाला के विकास हेतु निम्न कार्य स्वीकृत किये गये है:–

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति आदेश क्र. एवं दिनांक

2. पार्टी क्र. 1 द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किये गये थे जिनका क्रियान्वयन पार्टी क्र. 2 द्वारा मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुये मस्टर रोल पद्वति से मजदूरी:सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में कराया जाना है। जिन कार्यों में सामग्री मद की राशि 40 प्रतिशत से अधिक हो रही है। उनका क्रियान्वयन अभिसरण के तहत अन्य मद की राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा होने पर कराया जावेगा।
4 पार्टी क्र. 2 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक सहयोग पार्टी क्र. 1 प्रदान करेगी।
5 कार्यों की निर्माणाधीन अवधि में निर्माण सामग्री की सुरक्षा पार्टी क्र. 1 की होगी।
6 पार्टी क्र. 2 द्वारा मस्टर रोल पर लगाये गये जॉबकार्डधारी मजदूरों की सप्ताह के अंत में मस्टर रोल पर हाजिरी का सत्यापन पार्टी क्र. 1 द्वारा किया जावेगा।
7 **कार्यो की निर्माणाधीन अवधि एवं कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत समय–समय पर मूल्यांकन /निरीक्षण कार्य में कर्मचारी/अधिकारियों को पार्टी क्र. 1 द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावेगा।**
8 **कार्य पूर्ण होने उपरांत निर्मित सरचंनाओं का उपयोग एवं आगामी रख–रखाव का कार्य पार्टी क्र. 1 द्वारा किया जावेगा।**

गवाह के हस्ताक्षर 1

पार्टी क्र. 1 के हस्ताक्षर
नाम पद मुद्रा सहित (सील)

गवाह के हस्ताक्षर 2

पार्टी क्र. 2 के हस्ताक्षर
नाम पद मुद्रा सहित (सील)

परिशिष्ट–4

कामधेनू /गौ सरंक्षण एवं भूमि विकास उपयोजना के अयोजना के संबंध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी

जिला का नामः–..... वर्ष .....

क्र.	गौ–शाला का नाम एवं पता	स्वीकृत कार्यों का विवरण					प्रारम्भ				पूर्ण				एम.आई. एस. प्रविष्टी की स्थिति (व्यय राशि का प्रतिशत)	कार्यों के संपादन उपरांत होने वाला लाभ
		संख्या	राशि	राशि (राशि रूपये लाख में)			संख्या	राशि			संख्या	राशि				
				मनरेगा	अन्य मद	योग		मनरेगा	अन्य मद	योग		मनरेगा	अन्य मद	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....